न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 230 /2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. जब्बरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी– सिणला तहसील जैतारण जिला पाली।		1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश जिला कलेक्टर पाली के द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 04/2019 राज्य बनाम जब्बरसिंह में दिनांक 22.02.2021 को पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री बी.आर. चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः नवम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह प्रथम राजस्व अपील न्यायालय जिला कलेक्टर पाली के द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 04/2019 राज्य बनाम जब्बरसिंह में दिनांक 22.02.2021 को पारित आदेश के विरूद्व न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.10.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के अधिवक्ता को अपील पर सुना गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार जैतारण के द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भू0 आवंटन नियम 1970 के तहत पेश कर अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 28.04.1976 को ख0सं0 610 रकबा 11.04 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का आावंटन कृषि प्रयोजनार्थ किया गया था लेकिन आवन्टी द्वारा आवंटन की शतों के विपरित कार्य होने से उक्त आवंटन निरस्त का निवेदन किया साथ ही मूल आवंटन कार्यालय में उपलब्ध न होने बाबत एक अन्य प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया एवं आवंटन रजिस्टर की प्रमाणित प्रति उपखण्ड कार्यालय से प्राप्त कर प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली

के द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई प्रार्थी तहसीलदार जैतारण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपने आदेश दिनांक 22.02.2021 के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 28.4.1976 को निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत की है।

3. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल कारित की है क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं न ही सुनवाई एवं अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया गया जो कि नैसर्गिक/प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बताये बिना ही एकतरफा रिपोर्ट तैयार कर पेश की एवं प्रस्तुत रिपोर्ट हल्का पटवारी के फोटोग्राफस को ही आधार मानते हुए अपीलान्ट के 40 वर्ष पुराने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन को खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट के नाम से वक्त आवंटन से लगाकर आज दिन तक मौके पर काश्त का कार्य किया जा रहा है जिसकी ताईद हल्का पटवारी द्वारा जारी गिरदावरी सम्वत 1976 से लगाकर आज दिन तक यानि 2077 तक के अवलोकन से साबित होती है। उक्त दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवलोकन किये ही नहीं गये, ऐसे में अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में यह कहना कि मौके पर खनन कार्य किया जा रहा है। उक्त खनन कार्य को रोकने बाबत भूमिधारी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रकरण दर्ज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया और न ही अपीलान्ट के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही की गई और न ही सम्बन्धित कार्यवाही को पत्रावली पर लिया गया जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट उक्त वादग्रस्त भूमि पर अवैध खनन का कार्य कर रहा है। अपीलान्ट द्वारा कभी भी अवैध खनन अथवा अकृषि कार्य नहीं किया गया है जिसकी तस्दीक पटवारी हल्का की ओर से जारी गिरदावरी से स्पष्ट हो जाती है। अतः अपीलान्ट की अपील उक्त आधारों पर स्वीकार करने योग्य है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के प्रकरण में तहसीलदार जैतारण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र मनगढत कहानी रचकर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है जिसकी कोई सत्यता नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की गई थी, ऐसे में न्यायालय प्रक्रिया दूषित एवं त्रुटिपूर्ण मानी जावेगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को आवंटन की शर्तों की पालना न करने का मनगढत आरोप गढा जाकर आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट जो कि पूर्व सैनिक है, के साथ घोर अन्याय एवं सन्देहास्पद कार्यवाही की गई है, भूमिधारी द्वारा भू माफिया व खनन माफियाओं के इशारे पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे भूमि को सिवाय चक घोषित करवाया जाकर खनन हेतु आवंटन करवाई जा सके। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उचित सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया और न ही वादग्रस्त भूमि की गिरदावरी तलब की जाकर उसका अवलोकन किया गया।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आवंटन की शतों की पालना किस अवधि व किस अवधि तक किया जाना आवश्यक है तथा आवंटन की शर्तो की पालना की अवधि खत्म हो जाने के बाद अगर किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उस स्थिति में क्या नियम 14 (14) के प्रावधान लागू नहीं होते है। ऐसे में विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर तहसीलदार जैतारण द्वारा उपरोक्त कार्यवाही की गई है, जो पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार करने योग्य थी। वादग्रस्त भूमि के क्षेत्र में माईनिंग की निजी कम्पनियॉ जानबूझ कर गलत तरीके से ऐसी कार्यवाही करवा रहे है। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार पर मानते हुए अपीलान्ट के पक्ष में वर्षो पूर्व हुए भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया है जो न्यायोचित नहीं होकर अन्यायपूर्ण है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.09.2021 को खाते की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तब पटवारी हल्का के द्वारा अपीलाधीन आदेश जारी होने की जानकारी दी तब उसके द्वारा विधिक सलाह लेकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह अपील पेश करने की कार्यवाही की गई है जो म्याद में मानी जावे। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर

अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जावे एवं जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.2.2021 को जो कि अपीलान्ट को बिना सूचित किये ही, बिना नोटिस तामील करवाये, बिना पक्ष रखे जाने, दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही, व अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, को निरस्त करावे

7. हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा उन्हें बिना सुनवाई का अवसर दिये, तथा अपना पक्ष/साक्ष्य प्रस्तुत करने पूर्ण अवसर दिये ही एकपक्षीय रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट को वर्ष 1976 दिनांक 28.04.1976 में किये गये कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया। दोयम अपीलान्ट के उक्त वादग्रस्त भूमि की निरन्तर जारी गिरदावरी का अवलोकन नहीं किया गया एवं प्रकरण में बनाई गई अपीलान्ट की अनुपस्थिति में तैयार की गई मौका रिपोर्ट पटवारी के द्वारा प्रस्तुत की गई, के आधार पर उसकों आवंटित भूमि के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है, जो आवंटन नियमों/शतों की पालना हेतु तय अवधि के पश्चात पालना नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने हेतु विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है।

8. ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर मनन करने एवं उपरोक्त समस्त आब्जर्वेशनों के मध्यनजर तथा प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय है कि अपीलान्ट के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त करने से पूर्व उसका पक्ष जानने/सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना काननून आवश्यक होता है। अतः उपरोक्त समस्त आधारों पर प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को पुनः नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलान्ट को अपना पक्ष

प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो विधिक परीक्षण उपरान्त पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। साथ ही रिमाण्ड प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, 2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर